

**झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

राँची

दिनांक :- १.७.११

3429

अधिन सं०-१/स्था.-६६/२००६ ज.स.-----/ दिनांक २५.०५.११ को विभागीय स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नलिखित मुख्य अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) को उनके नाम के सामने स्तम्भ-३ में अंकित वर्तमान पद एवं स्थान से कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उसी रूप में स्तम्भ-४ में अंकित पद/स्थान पर अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

क्र.	पदाधिकारी का नाम/आई. डी./ जन्म तिथि/ गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश पासवान 3470/01.10.58/सीतामढ़ी	प्रबंध निदेशक (चा.प्र.) झालको	मुख्य अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना,रूपांकण एवं जल विज्ञान, राँची	अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक, झालको
2	श्री रामचन्द्र रजक 3462/08.01.58/बेगूसराय	मुख्य अभियंता(चा.प्र.) समग्र योजना, रूपांकण एवं जल विज्ञान, राँची	मुख्य अभियंता(चा.प्र.) लघु सिंचाई, राँची	
3	श्री ब्रजमोहन दास 4262/13.01.55/औरंगाबाद	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) जल संसाधन, मेदिनीनगर	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा नगर विकास विभाग को	
4	श्री राजेश सोलेमन तिग्गा 3857/02.01.64/राँची	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) योजना एवं मोनिटरिंग जल संसाधन, राँची	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) जल संसाधन, राँची	
5	श्री अजीत लुईस लकड़ा 3864/25.08.61/राँची	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) लघु सिंचाई, दुमका	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में पदस्थापन हेतु विभागीय मुख्यालय में।	
6	श्री किशोरी रजक 3841/10.01.58/भागलपुर	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) नगर विकास विभाग	मुख्य अभियंता (चा.प्र.) के रूप में सेवा मानव संसाधन विकास विभाग को	नगर विकास विभाग से सेवा वापस लेते हुए

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

( चन्द्र भूषण सिन्हा )  
सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)



ज्ञापांक-

3429

राँची, दिनांक-9.7.11

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को (सी.डी. सहित) राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 100 (सौ) प्रतियां कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)

ज्ञापांक-

3429

राँची, दिनांक-9.7.11

प्रतिलिपि-महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची / वित्त (व्यक्तिगत दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची / माननीय उप मुख्य मंत्री, (जल संसाधन विभाग), झारखण्ड के आप्त सचिव (दो प्रतियों में) / प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची / सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लि., राँची / प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर / विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अभियंता प्रमुख- I एवं II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी संयुक्त सचिव / सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची / सभी मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन (लघु सिंचाई सहित) विभाग, झारखण्ड, राँची / संबंधित पदाधिकारी / संबंधित सभी कोषागार पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/ब, 7/यो. एवं 8ए., 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित मुख्य अभियंता अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का प्रभार अविलम्ब सौंपकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन मुख्यालय को देंगे।

3. संबंधित कोषागार पदाधिकारी उक्त पदाधिकारियों का माह जुलाई 2011 का वेतन भुगतान नये पदस्थापित पद के विरुद्ध ही करेंगे।

(चन्द्र भूषण सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र०)